भारत सरकार

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग

राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न सं. 85\*

28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्तर

**उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रिक्त पदों का भरा जाना**

**85. श्री जुगुल किशोर:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2014-15 हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि तक इन पदों को नहीं भरे जाने के कारण क्या हैं;

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और (घ) क्या एक अभियान के द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को भरने की कोई योजना है?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**राज्‍य सभा में दिनांक 28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 85 के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण:**

(क): उत्‍तर प्रदेश (यूपी) राज्‍य से प्राप्‍त सूचना के अनुसार राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 हेतु विभिन्‍न प्रमुख संविदात्‍मक कर्मचारियों के स्‍वीकृत, भरे हुए एवं रिक्‍त पदों का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक में दिया गया है।

चूंकि स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍य का विषय है, अत: नागरिकों को स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल सेवाएं उपलबध कराने की प्राथमिक जिम्‍मेदारी राज्‍य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों पर होती है। फिर भी, राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके द्वारा अपने कार्यक्रम कार्यान्‍वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्‍तुत प्रस्‍तावों के आधार पर संविदात्‍मक मानव संसाधन उपलब्‍ध कराने हेतु सहयोग सहित उनकी स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए वित्‍तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।

(ख): अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत रिक्‍त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्‍त पदों को भरने हेतु राज्‍यों को समय-समय पर विभिन्‍न निर्देशिकाएं जारी की गई हैं। राज्‍य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपेक्षित पदों की संख्‍या निर्धारित की जाती है और उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। भारत सरकार केवल उस प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करती है और वित्‍तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्‍ध कराती है। उत्‍तर प्रदेश राज्‍य से प्राप्‍त सूचना के अनुसार, कई पद रिक्‍त रह गए, क्‍योंकि उम्‍मीदवार (मुख्‍य रूप से विशेषज्ञ, चिकित्‍सा अधिकारी और महिला कर्मचारी) कम मानदेय, उचित आवास एवं परिवहन सुविधाओं का अभाव, सुरक्षा आदि जैसे विभिन्‍न कारणों से ग्रामीण/दूरस्‍थ क्षेत्रों में कार्यभार ग्रहण करने के लिए इच्‍छुक नहीं हैं।

(ग) एवं (घ): यह सूचना भारत सरकार के स्‍तर पर नहीं रखी जाती है। साथ ही, उत्‍तर प्रदेश राज्‍य से प्राप्‍त सूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्‍त पदों की संख्‍या का विवरण राज्‍य स्‍तर पर नहीं रखा जाता है क्‍योंकि भर्तियां जिला स्‍वास्‍थ्‍य समिति के माध्‍यम से जिला स्‍तर पर की जाती हैं और श्रेणीवार ब्‍यौरा संबंधित जिले में रखा जाता है। उत्‍तर प्रदेश राज्‍य ने सूचित किया है कि एनएचएम, यूपी के तहत सभी संविदात्‍मक स्‍वीकृत पदों को भरने हेतु जिला स्‍वास्‍थ्‍य समितियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

**उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम के तहत वर्ष 2014-15 हेतु प्रमुख संविदात्‍मक कर्मचारियों के स्‍वीकृत पदों का विवरण**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **श्रेणी** | **स्वीकृत** | **भरे हुए पद** | **रिक्त पद** |
|  | चिकित्सा अधिकारी (एमबीबीएस) | 783 | 370 | 413 |
|  | आयुष डॉक्टर | 4544 | 3778 | 766 |
|  | बीडीएस | 664 | 550 | 114 |
|  | विशेषज्ञ | 724 | 138 | 586 |
|  | स्टाफ नर्स/एएनएम | 13,218 | 9665 | 3553 |
|  | पराचिकित्‍सा कर्मचारी/ फार्मासिस्ट | 2934 | 2237 | 697 |
|  | परिवार कल्याण/एएफएचएस परामर्शदाता | 975 | 603 | 372 |
|  | जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई | 300 | 274 | 26 |
|  | ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई | 3280 | 3009 | 271 |
|  | अन्य प्रशासनिक/कार्यक्रम कर्मचारी | 190 | 85 | 105 |
|  | राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईडीएसपी, एनएलईपी आदि) | 808 | 393 | 415 |
|  | **कुल** | **28,420** | **21,102** | **7318** |